न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 48/2011 रेफरेंस प्रार्थना पत्र

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. बुलाकीराम 2.. अबजी 3. मूली 4. इन्द्रा पिसरान ताजूराम जाति बेलदार
निवासी बीकानेर

अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित

2– अप्रार्थीकी ओर से – संतनाथ योगी अधिवक्ता हाजिर नही।

आदेश दिनांक 11.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 1315/159 तादादी 31 बीघा खाम अप्रार्थी को टी.सी. आवंटित भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी तत्पश्चात तहसीलदार, बीकानेर ने नियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 26 दिनांक 06.01.03 से अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अप्रार्थी के नाम की गई खातेदारी भूमि बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में होने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी विधि विरूद्ध व निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई।

3. तदन्तर समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर नही आने पर स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 1315/159 तादादी 31 बीघा खाम अप्रार्थी को टी.सी. आवंटित भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी तत्पश्चात तहसीलदार, बीकानेर ने नियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 26 दिनांक 06.01.03 से अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अप्रार्थीगण के नाम की गई खातेदारी भूमि बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में हाने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि प्रश्नगत रकबा नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.6.1976 से मास्टर प्लान वर्ष 1981 में अनुमोदित हो चुका है। उक्त रकबा मास्टर प्लान के पैराफैरी कन्ट्रोल बेल्ट में होने के कारण खातेदारी नहीं दी जा सकतीं। राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या पं.6 (5)राज–6/96/ पार्ट दिनांक 18.11.2004 एवं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के पत्रांक प–3(132)24/2004 दिनांक 18.10.2004 के द्वारा यह निदेश प्रदान किये है कि शहरी क्षेत्र व पेरीफेरी क्षेत्र में आनेवाली भूमि का ना तो आबंटन किया जावे और ना ही उसका नियमन किया जावे। अतः खातेदारी आदेश दिनांक 06.01.2003 निरस्त किये जाने बाबत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रप्रेषित किया जावे।

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार बीकानेर द्वारा राज्यादेशों व कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण को ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 1315/159 तादादी 31 बीघा खाम अप्रार्थी को टी.सी. आवंटित भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी तत्पश्चात तहसीलदार, बीकानेर ने नियम विरूद्ध आदेश क्रमांक 26 दिनांक 06.01.03 से अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे उस समय प्रश्नगत भूमि नगरीय विकास विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1(13) टीपी/II/72 दिनांक 16.6.1976 के द्वारा बीकानेर शहर की शहरी सीमा क्षेत्र में अधिसूचित होकर 1981 में अनुमोदन हो चुका है। राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयुपर ने आदेश कमांक प 3(4)उप/91/जयपुर दिनांक 4.7.2003 के द्वारा यह आदेश थे राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 6–7 के प्रावधानों के अनुसार जो रकबा (भूमि) मास्टर प्लान के पेराफेरी कण्ट्रोल के अर्न्तगत आती है उस भूमि की खातेदारी सनद जारी नही की जावे । प्रकरण में गैर खातेदारी/टी.सी. होल्डर को दी गयी खातेदारी से कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(5) को उल्लघंन हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में राज्य सरकार के नियमो, निर्देशो, आदेशो की अवेहलना करते हुए नियम विरूद्ध दी गयी खातेदारी एबइनिशियो वॉयड होने के कारण निरस्त योग्य है। मामले के आद्योपान्त अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि तहसीलदार, बीकानेर द्वारा राज्य आदेशो के विपरित जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। अतः प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना न्यायोचित पाते है।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

6. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार बीकानेर द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित खातेदारी आदेश क्रमांक 26 दिनांक 06.01.03 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे व प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 17.04.2020 को उपस्थित होवें । तहसीलदार, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक के मार्फत माननीय राजस्व मंडल में रेफरेंस प्रस्तुत करे। .

7. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर बीकानेर
जिला कलेक्टर, बीकानेर